



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



22 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 148 राँची, मंगलवार,

12 मार्च, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

16 जनवरी, 2024

कृपया पढ़ें:-

- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का ज्ञापन संख्या-7201 (अनु०), दिनांक 27.12.2023

संख्या-1/आरोप-580/2014 का.- 335--श्री अरवा राजकमल भा.प्र.से. (झ:2008), तत्कालीन उपायुक्त, बोकारो, सम्प्रति निदेशक, खान, झारखण्ड के विरुद्ध विभागीय ज्ञापन संख्या-7261 (अनु०), दिनांक 27.12.2023 के द्वारा उपायुक्त, बोकारो के पदस्थापन अवधि में उनके अनाधिकृत अनुपस्थिति सहित अन्य आरोपों के लिए AIS (D&A) Rules, 1969 के नियम-10 के तहत आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एवं मिसविहैवियर तथा साक्ष्यों की तालिका निर्गत की गयी, जो निम्नलिखित है-

Article-1 :- That the said Shri Rajkamal, IAS (JH:2008) while functioning as Deputy Commissioner, Bokaro absconded from duty with effect from 24.08.2013 without prior sanction of competent authority. That this conduct is a clear violation of Rule 3(1) of AIS Leave Rule which stated as under "Leave cannot be claimed as of right and when the exigencies of public service so demand, leave of any description may be refused or revoked by the Govt."

Article-2:- That while functioning in the aforesaid office, the said Shri Rajkamal proceeded abroad for pursuing sponsored study programme in Harvard University's John F. Kennedy School without proper authorization. That this conduct is a clear violation of provisions of AIS (Study Leave) Rules, 1960.

Article-3 :- That the said Shri Rajkamal was asked to explain for his absence from Duty without approval of competent authority vide letter no.- 11215, dated 22.11.2013 of the Personnel, Administrative Reforms & Rajbhasha Deptt., Govt. of Jharkhand. But he failed to submit his show cause. That this conduct is unbecoming of a public servant and more so in the case of an All India Service Officer.

उपर्युक्त आरोप पत्र के संबंध में श्री अरवा राजकमल, भा.प्र.से. द्वारा लिखित बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसमें श्री राजकमल द्वारा सभी प्रतिवेदित आरोपों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है ।

श्री अरवा राजकमल से प्राप्त लिखित बचाव बयान के सम्यक् समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा उनके विरुद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है:-

(क) भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है ।

(ख) निलंबन अवधि दिनांक 27.05.2014 से 21.04.2015 तक में कोई जीवन निर्वाह भत्ता देय नहीं होगा ।

(ग) कुल अनुपस्थिति अवधि दिनांक 24.08.2013 से 21.04.2015 को असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है तथा यह अवधि सेवा में टूट नहीं मानी जाये

श्री अरवा राजकमल, भा.प्र.से. (2008), तत्कालीन उपायुक्त, बोकारों के विरुद्ध गठित आरोपों के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय के साथ मामले को निष्पादित किया जाता है ।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अरवा राजकमल, भा.प्र.से. (झा:2008), निदेशक, खान एवं अन्य सम्बन्धित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।
